

**म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल**

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र /नियमन/ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री बाजार/563/ 1430 भोपाल, दिनांक 05/05/2025
प्रति,

Star Agribazaar Technology Private Limited,
601-604, A-Wing, Bonanza Building, Sahar Plaza Complex,
J.B. Nagar Metro Station, J.B. Nagar Andheri (E),
Mumbai (Maharashtra)-400059। *

स्थानीय पता:-प्लॉट नंबर जेड-15, शीला आर्केड, जोन-1,
एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)।

विषय:-मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016
(यथासंशोधित) के अधीन ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:-1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री/563/1224 दिनांक
13/05/2021, पत्र क्रमांक/994 दिनांक 31/02/2022, पत्र क्रमांक/2590 दिनांक
31/03/2023 एवं पत्र क्रमांक/21 दिनांक 03/04/2024।
2. मेसर्स Star Agribazaar Technology Private Limited का आवेदन दिनांक
18/03/2025

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016
(यथासंशोधित) 2016 की शर्त क्रमांक 5 के तहत, संदर्भित पत्रों से मेसर्स Star Agribazaar
Technology Private Limited को राज्य में प्रांगण (नियम 2016 में यथा परिभाषित) में
परिचालन करने हेतु ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति, स्वीकृत एवं नवीनीकृत की गई थी, जोकि दिनांक
31/03/2025 तक वैध थी।

2. आपके द्वारा संदर्भित आवेदन दिनांक 18/03/2025 से नियम, 2016 के तहत ई-प्लेटफॉर्म
अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. संदर्भित आवेदन में ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति लिए जाने हेतु नियम, 2016 के नियम (3) के
अधीन निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत की है :-

S.No	Bank Guarantee No	Amount	Validity
1.	OGT0018210053014 (संशोधित)	25 Lakhs	15 June 2026
2.	OGT0018220063785 (संशोधित)	25 Lakhs	03 June 2026

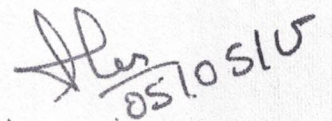
mail

4. अनुज्ञति नवीनीकरण आवेदन, आवश्यक दस्तावेज, निर्धारित फीस तथा निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति उपरांत, ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति स्वीकृति आदेश क्रमांक 1224 दिनांक 13.05.2021, दिनांक 31.03.2022, दिनांक 31.03.2023 एवं दिनांक 03/04/2024 के अनुक्रम में ही नियम, 2016 की शर्त क्रमांक 5 के तहत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा मेसर्स Star Agribazaar Technology Private Limited को राज्य में मंडी समितियों के सभी अधिसूचित क्षेत्र तथा मंडी प्रांगण में परिचालन करने हेतु ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति, नियम 2016 में विहित शर्तों के अधीन नवीनीकृत करने का विनिश्चय किया गया है।।

5. ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स Star Agribazaar Technology Private Limited के द्वारा एक सेवा स्तरीय अनुबंध, नियम 6 के अधीन अधिसूचित मंडियों के लिए ई-प्लेटफॉर्म तथा अन्य सेवायें उपलब्ध कराने के निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा जो ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)

संलग्न-अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्रारूप-ग-एक।


05/05/25

संयुक्त संचालक

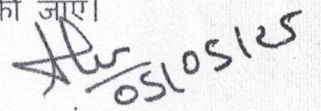
मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/नियमन/ई-प्लेटफॉर्म/स्टार एग्री बाजार/563/1431

भोपाल, दिनांक 05/05/2025

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय/भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स Star Agribazaar Technology Private Limited मुंबई को स्वीकृत ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि की जाएं।


05/05/25

संयुक्त संचालक

मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रारूप-ग-एक

(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफॉर्म परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति

ई-प्लेटफॉर्म अनु. क्र.-01 दिनांक 05/05/2025

ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति एतद्वारा श्री/मेसर्स Star Agribazaar Technology Pvt Ltd 601-604, A-wing, Bonanza Building, Sahar Plaza Complex, J.B. Nagar Metro Station, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai (Maharashtra); स्थानीय पता - प्लॉट नंबर जेड-15, शीला आर्केड, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल (दूरभाष नंबर) 0755-4075531 को फीस रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) के भुगतान पर, जो इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, प्रदेश में परिचालन करने के लिए 31 मार्च 2026 (वर्ष) तक वैध, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर की जाती है, अर्थात् :-

- (1) अनुज्ञप्तिधारी को उक्त अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा आबद्ध रहना होगा।
- (2) यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।
- (3) यह अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निलंबित या रद्द की जा सकेगी।
- (4) इस अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण की दशा में यह प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित की जाएगी।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी प्रदेश प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किये अनुसार अंकित किये गए किसी भी प्रांगण में ई-प्लेटफॉर्म के रूप में व्यवसाय करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, नियम-5 में विस्तरित समस्त शर्तों और निर्बंधनों का पालन सुनिश्चित करेगा और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों का कठोरता से पालन करेगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी घोषित कृषि उत्पादों के विपणन के संबंध में विवाद में, अपने विवाद, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, (क्रमांक 24 सन् 1973) तथा तदाधीन निर्मित नियमों और उपविधियों में दिए गए तरीके से संदर्भ में उल्लेख करेगा।

स्थान : भोपाल।

दिनांक : 05/05/2025

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

अनुज्ञप्ति की दिनांक

नवीनीकरण की कालावधि

(प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार)



[Handwritten signature]
05/05/25

संयुक्त संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी